भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-147
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना

†147. **श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एडब्ल्यूपी) और बजट अनुमोदन का ब्यौरा क्या है और स्वीकृत बजट क्या है;
(ख) क्या राज्यों की वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में संपरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए प्रत्येक संघटक के अंतर्गत एडब्ल्यूपी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए प्रत्येक संघटक के अंतर्गत एडब्ल्यूपी द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;और
(घ) क्या सभी राज्यों ने समग्र शिक्षा के दिशानिर्देशों के अनुसार संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है। मानदंडों के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में

परिलक्षित होती है। फिर इन योजनाओं का आंकलन और अनुमोदन/मूल्यांकन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विगत पांच वर्षों के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित केंद्रीय हिस्सा और समग्र शिक्षा के तहत जारी केंद्रीय हिस्सा का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

(ख) से (ग) समग्र शिक्षा के अंतर्गत तीसरी किस्त के रूप में जारी की जाने वाली धनराशि हेतु विगत वर्ष का अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र अनिवार्य है और चौथी किस्त जारी करने के लिए लेखापरीक्षित रिपोर्ट अनिवार्य है। साथ ही, राज्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने के नौ महीने के भीतर समग्र शिक्षा के संबंध में शिक्षा मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 2023-24 तक पूर्ण लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। इस विभाग ने प्रबंध (परियोजना आंकलन, बजट उपलब्धियाँ और डेटा प्रबंधन) प्रणाली शुरू की है। प्रबंध प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता समग्र शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए व्यय का अद्यतनीकरण है। इस उद्देश्य के लिए, समग्र शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मासिक स्थिति प्रदर्शित करने के लिए प्रबंध प्रणाली में एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड बनाया गया है। योजनाओं की निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक की अपनी वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

*****

‘समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना’ के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू और श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों में समग्र शिक्षा के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित किए गए और जारी किए गए केंद्रीय अंश का राज्य-वार ब्यौरा

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5545.59	4037.43	5637.45	3152.32	7402.1	5651.44	9532.55	5527.59	8484.17	6052.36
2	आंध्र प्रदेश	134853.54	86975.09	134853.54	68301.36	171258.59	150359.02	179657.608	128940.788	173293.31	124010.57
3	अरुणाचल प्रदेश	44215.86	33964.52	44215.86	27996.24	53369.59	25229.47	59601.029	47503.49	64447.49	57585.11
4	असम	197702.88	159429.09	197702.88	156156.40	251460.08	208086.22	260407.292	181046.93	288347.22	202677.34
5	बिहार	382755.00	282822.81	382755.00	340608.45	501887.29	355459.46	502132.656	424173.08	499123.47	421781.44
6	चंडीगढ़	9552.71	7115.42	10024.09	10804.09	12422.81	10979.21	13213.99	11636.31	13720.64	11858.35
7	छत्तीसगढ़	88790.33	35068.41	88790.33	33236.78	113833.06	82800	120045.112	77659.06	126779.26	83065.84
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	6717.80	3493.77	6740.66	2092.45	8793.65	6466.66	9537.23	4130.25	9802.68	5462.64

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश
9	दिल्ली	31521.04	14926.44	31521.05	14588.04	37727.38	22193.92	37783.6	14608.83	56633.22	38539.03
10	गोवा	1861.00	1788.38	1861	1102.19	2985.77	2985.77	3077.84	1875.43	2426.79	1633.61
11	गुजरात	104183.92	97632.80	100974.38	89375.71	137120.75	132125.03	133473.508	113253.16	160173.72	124554.05
12	हरियाणा	85755.82	74570.72	82538.73	51709.18	96350.03	67021.33	101502.757	57880.24	107632.86	53643.94
13	हिमाचल प्रदेश	58166.16	49230.46	58166.16	31910.05	73808.17	55160.13	68685.118	48596.96	76494.93	52619.99
14	जम्मू और कश्मीर	147213.74	38557.43	132021.74	87398.83	165059.67	36497.18	173649.666	86543.88	172160.13	82349.31
15	झारखंड	90018.00	86561.21	90018	85897.13	116768.12	115451.63	125218.508	110493.28	117386.04	107444.41
16	कर्नाटक	70761.11	61010.01	70761.11	47451.63	100494.06	86152.48	95443.122	82808.79	93654.51	86830.33
17	केरल	25221.99	23838.59	25221.99	22512.79	34847	17815.99	34334.47	14165.74	42889.42	0.00
18	लद्दाख	10203.97	5806.39	9999.72	5717.55	12349.12	1489.36	19159.03	5222.63	20099.43	13999.80
19	लक्षद्वीप	826.16	254.63	573.33	216.15	786.86	432.99	575.47	100.05	741.78	306.12
20	मध्य प्रदेश	294630.92	246219.48	294630.92	229279.75	372787.9	193928.88	389333.2	298151.13	412209.15	343471.12
21	महाराष्ट्र	101370.47	63559.58	101370.47	69302.88	159289.59	90000	134800.532	100119.1	143859.39	112624.52
22	मणिपुर	38242.09	32364.84	37042.52	18250.19	49418.88	40475.7	49677.819	25721.89	53200.51	46559.15
23	मेघालय	42339.28	28355.68	30584.23	27171.38	37515.29	37515.29	40496.07	39418.22	39882.71	36282.56
24	मिजोरम	23310.22	18855.02	22559.99	17968.14	32308.05	14268.09	36087.439	27414.06	29798.67	21651.76
25	नागालैंड	25624.49	21347.11	21808.76	13734.16	28104.5	28104.49	33362.725	23125.34	28439.24	21140.50
26	ओडिशा	149745.39	130145.67	145334.43	123807.39	184107.55	183666.84	196376.544	123660.69	193480.26	167239.29

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	अनुमोदित केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश
27	पुडुचेरी	1514.00	972.44	1514	1397.54	1987.3	1527.52	2256.398	1247.37	1974.29	1246.03
28	पंजाब	57209.85	53143.13	54353.29	50127.01	71906.33	60504.93	71866.492	33111.65	70878.25	67813.14
29	राजस्थान	273019.53	225943.67	273019.53	240582.13	345219.75	213861.12	359233.848	320289.45	386553.20	309065.25
30	सिक्किम	12749.33	6451.72	12249.29	10012.46	15176.05	10718.96	16891.638	13260.51	15661.00	12273.95
31	तमिलनाडु	164996.07	162153.74	164996.07	159882.18	211759.9	210723.33	212764.72	187615.54	215315.01	0.00
32	तेलंगाना	88061.36	34807.36	88061.36	55327.91	114385.92	114251.02	116557.3954	92012.79	116271.55	98878.94
33	त्रिपुरा	42642.69	40371.19	31820.19	22692.81	38741.08	28672.54	44074.73	34132.90	45179.94	42002.98
34	उत्तर प्रदेश	553308.53	457185.61	512311.24	204497.10	626179.97	381975.27	664429.006	427645.13	697621.18	626479.22
35	उत्तराखंड	78773.29	54149.33	67262.62	32083.60	84444.06	70438.94	72768.264	44056.91	88371.48	64678.27
36	पश्चिम बंगाल	133877.32	132743.02	133877.32	130974.48	177338.04	152204.21	176747.914	31129.41	174579.86	0.00
	कुल	**3577281.45**	**2775852.19**	**3467173.25**	**2487318.45**	**4449394.26**	**3215194.42**	**4564755.29**	**3238278.58**	**4747566.76**	**3445820.90**